Section 61 : Scrutiny of returns.

(1) The proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return and inform him of the discrepancies noticed, if any, in such manner as may be prescribed and seek his explanation thereto.

(2) In case the explanation is found acceptable, the registered person shall be informed accordingly and no further action shall be taken in this regard.

(3) In case no satisfactory explanation is furnished within a period of thirty days of being informed by the proper officer or such further period as may be permitted by him or where the registered person, after accepting the discrepancies, fails to take the corrective measure in his return for the month in which the discrepancy is accepted, the proper officer may initiate appropriate action including those under section 65 or section 66 or section 67, or proceed to determine the tax and other dues under section 73 or section 74.

धारा 61 : विवरणियों की संवीक्षा

(1) समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों की, विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा कर सकेगा और ध्यान में आए फर्कों, यदि कोई हों, की ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सूचना देगा तथा उनके संबंध में उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

(2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तद्नुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने की तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति फर्क को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें फर्क स्वीकार किया गया था, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी उपयुक्त कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं या वह धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा।